

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (गुप-4) विभाग

क्रमांक : प.21(4)साप्र/4/2023-24

जयपुर, दिनांक 15/05/23

मुख्य अभियन्ता (भवन),
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
राजस्थान, जयपुर ।

स्वीकृति संख्या-06/2023-24

विषय : गांधीनगर, जयपुर स्थित तृतीय श्रेणी के राजकीय आवास में परिवर्तन/परिवर्द्धन बाबत।
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार गांधीनगर जयपुर स्थित निम्न तृतीय श्रेणी के राजकीय आवासों में परिवर्तन/परिवर्द्धन कार्य हेतु राशि रुपये 2.90 (अक्षरे रुपये दो लाख नब्बे हजार मात्र) के व्यय के लिये राज्यपाल महोदय की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

S.N.	Name of allottee and Qtr No.	Pre Allotted for House		Description of proposed work			Total Amount
		Block Year	Amt	S.N.	Work	Amount	
1	Sh Bhawani Kochar, Qtr No. 3-41 Gandhi Nagar, Jaipur	2023 to 2026		1	Almirah Shutter	0.30	1.16
				2	Boundary Wall	0.10	
				3	Jali door wooden	0.10	
				4	Mat Tile	0.30	
				5	Steel Main Gate	0.20	
					Total A	1.00	
					Cont. 2.5%	0.03	
					Total B	1.03	
		Prorata 13%	0.13				
2	Sh Kailash Chand Meena, Qtr No. 3-54 Gandhi Nagar, Jaipur	2023 to 2026		1	Steel Main Gate	0.17	1.16
				2	Bath renovation	0.29	
				3	Kitchen Renovation	0.29	
				5	Replacement of section Window	0.10	
				6	PVC Storage Tank 500 ltr	0.15	
					Total A	1.00	
					Cont. 2.5%	0.03	
					Total B	1.03	
		Prorata 13%	0.13				
3	Sh Kailash Sahay Meena Qtr No. 3-105 Gandhi Nagar Jaipur	2022 to 2025		1	Misc Repair work	0.50	0.58
					Total A	0.50	
					Cont. 2.5%	0.01	
					Total B	0.51	
		Prorata 13%	0.07				
Grand Total							2.90

यह व्यय 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय 01- सार्वजनिक विभाग भवन 700- अथवा आवास (11) तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के आवास [90] - निर्माण कार्य-स्कीम 10 - लघु निर्माण कार्य - बालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में उपलब्ध प्रावधान से वहन होगा।

Digitally signed by Har Sahay Meena
Designation: Joint Secretary
Date: 2023.04.20 15:07:06 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3681964



कृपया यह सुनिश्चित करावें कि संबंधित आवास में स्वीकृत कार्यों पर ही राशि का व्यय किया जावे तथा कार्य पूर्ण करवाकर कम्प्लीशन प्रमाण पत्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें। इस विभाग के पत्र क्रमांक 19(1)साप्र-4/2011 दिनांक 30.12.2011 के क्रम में लेख है कि समस्त संबंधित आवासियों से बजट उपयोगिता प्रमाण पत्र लिये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः कार्य पूर्ण होने पर संबंधित आवासी से बजट का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जावे।

वित्त (सा.वि.ले.नि.) विभाग के आदेश क्रमांक प.3(2)वित्त/साविलेनि/2020 दिनांक 29.03.2022 के अन्तर्गत दिनांक 1.04.2022 से दिनांक 15.04.2022 तक आफलाईन जारी एएफएस हेतु वित्त (बजट) विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार एएफएस मॉड्यूल में प्रपत्र 14 बी में इन्द्राज एवं पीडब्ल्यूएफ एण्ड एआर की एसओपी के अनुसार सक्षम स्तर से ऑनलाईन स्वीकृति प्राप्त की जाने एवं इस प्रकार प्राप्त प्रोजेक्ट अप्रूवल आईडी का वॉम मॉड्यूल पर विलों के भुगतान हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रिया में fetch कर विलों का भुगतान किया जाना है, जिनमें ऑनलाईन तकनीकी स्वीकृति, कार्यादेश जारी किया जाना तथा ऑनलाईन एमबी भरा जाना आवश्यक नहीं है। दिनांक 16.04.2022 से ऑनलाईन एएफएस ही मान्य है, इसलिए इस स्वीकृति के लिये ऑनलाईन एएफएस अलग से जारी की जा रही है।

आरटीपीपी अधिनियम 2012 एवं नियम 2013, समस्त वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा सुस्थापित सिद्धांतों की प्रत्येक स्तर पर पालना सुनिश्चित की जावे तथा आपके विभाग के परिपत्र क्रमांक (184) SE(B)/Circulars/C-144 दिनांक 13.07.2009 (यथासंशोधित) के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करवाया जावे।

भवदीय

(डॉ. हर सहाय मीणा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
2. निदेशक वित्त (बजट) विभाग।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग।
4. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
6. अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर वृत्त, जयपुर।
7. अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-III, जयपुर।
8. अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, विद्युत खण्ड-III, जयपुर।
9. संबंधित आवासी।
10. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

Signature valid

Digitally signed by Har Sahay
Meena
Designation: Joint Secretary
Date: 2023.04.20 15:07:06 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3681964



General Administrative Department

Room NO 5028

Main Building, Secretariat Jaipur

Phone: 0141-25224 Fax: 0141-25224 e-mail: GAD4@RAJASTHAN.GOV.IN

A & F Sanction No. 2324-JS405-9 Dated : 15/05/2023

FD Project Approval ID (FDPAID) : 88223

Chief Engineer

Chief Engineer Public Works Department, Jaipur

Sub : Administrative & Financial sanction of proposal for Repair and Maintenance work in IIIrd Type Quarter No 3-41, 3-54,3-105 Total Amount Rs. 2.90 Lac (E.C. Rs. 2.9 lac) , District : Jaipur.

Ref : CE PWD Letter

In Exercise of power delegated, Administrative and Financial sanction of Rs. 2.9 lac is hereby accorded for the proposal of Repair and Maintenance work in IIIrd Type Quarter No 3-41, 3-54,3-105 Total Amount Rs. 2.90 Lac subject to the following conditions :

1. समस्त व्यय सुस्थापित अधिनियमों, विनियमों व राज्य सरकार के दिशानिर्देशों तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 की अनुपालना सुनिश्चित कराते हुए किया जावे।
2. कृपया यह सुनिश्चित करावे कि संबंधित आवास में स्वीकृत कार्यों पर ही राशि का व्यय किया जावे तथा कार्य पूर्ण करवाकर कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे तथा विभागीय स्वीकृति के विरुद्ध कार्य संतोषजनक होने का प्रमाण पत्र आवासी से प्राप्त किया जावे।
3. समस्त वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा सुस्थापित सिद्धांतों की प्रत्येक स्तर पर पालना सुनिश्चित की जावे तथा आपके विभाग के परिपत्र क्रमांक (184) SE(B)/Circulars/C-144 दिनांक 13.07.2009 के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करवाया जावे।
4. यह व्यय 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय 01-सरकारी रिहायशी भवन, 700-अन्य आवास (11) तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के बंगले- 90-निर्माण कार्य-स्कीम 16-लघु निर्माण कार्य में चालू वित्तीय वर्ष में उपलब्ध प्रावधान से वहन होगा। कृपया कार्य पूर्ण करवाकर कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।

Name of Scheme / Work : Repair and Maintenance work in IIIrd Type Quarter No 3-41, 3-54,3-105 Total Amount Rs. 2.90 Lac

Amount of A & F Sanction (Rs.) : 2.9 lac

Budget Head :-

4216-01-700-11-90-16 [P / V] - Amount (Rs.) : 2.9 lac

Technical Sanction (TS) Execution Office :- X.EN. P.W.D.,CITY DIV.III JAIPUR

Joint Secretary
General Administrative Department

Copy to following for information and necessary action :-

- 1) Accountant General,AG Office, Jaipur.
- 2) Joint Secretary,Joint Secretary, Finance (Budget) Department, Rajasthan, Jaipur.
- 3) Executive Engineer,X.EN. P.W.D.,CITY DIV.III JAIPUR.
- 4) Executive Engineer,EXECUTIVE ENGINEER P.W.D.ELECT. DIV.-2 JAIPUR.

Joint Secretary
General Administrative Department

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग

क्रमांक : प.21(8)साप्र/4/2023-24

जयपुर, दिनांक 15/05/23

मुख्य अभियन्ता (मवन),
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
राजस्थान, जयपुर ।

स्वीकृति संख्या-10/2023-24

विषय : गांधीनगर, जयपुर स्थित तृतीय श्रेणी के राजकीय आवास में परिवर्तन/परिवर्द्धन बाबत।
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार गांधीनगर जयपुर स्थित निम्न तृतीय श्रेणी राजकीय आवास में परिवर्तन/परिवर्द्धन कार्य हेतु राशि रूपये 12.73 (अक्षरे रूपये बारह लाख तिहत्तर हजार मात्र) के व्यय के लिये राज्यपाल महोदय की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

S.N.	Name of allottee and Qtr No.	Pre Allotted for House		Description of proposed work			Total Amount	
		Block Year	Amount (Lac)	S.N.	Work	Amount		
1	Sh Harphool Singh Yadav, (RAS) E-3 Gandhi Nagar, Jaipur	2022-23		1	PF Door work	0.30	6.47	
		2023-24		2	Tile work	0.30		
		2024-25		3	Bath renovation	0.70		
				4	Boundary wall	1.49		
				5	Parking Shed	0.28		
				6	Steel Work	1.15		
				7	Paver Block	0.57		
				8	Kitchen Renovation	0.50		
				9	Sewer line work	0.30		
						Total A		5.59
						Cont. 2.5%		0.14
						Total B		5.73
						Prorata 13%		0.74

Signature valid

Digitally signed by Har Sahay Meena
Designation: Joint Secretary
Date: 2023.05.15 15:00:05 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3841512



2	Sh Abhimanyu Sharma, Quarter No. E-4 Gandhinagar	2022- 23 to 2024- 25	1	Roof Treatment work	0.80	6.26
			2	Door	0.60	
			3	UPVC window	0.70	
			4	Tile work	0.70	
			5	Bath renovation	0.40	
			6	Wardrobe	1.00	
			7	Boundary wall	0.50	
			8	Kitchen Renovation	0.30	
			9	Sewer line work	0.20	
			10	Electric work	0.20	
				Total A	5.40	
				Cont. 2.5%	0.14	
				Total B	5.54	
				Prorata 13%	0.72	
Total					12.73	

यह व्यय 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय 01- सरकारी रिहायशी भवन, 700- अन्य आवास (11) प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के आवास [90] - निर्माण कार्य-स्कीम 16 -लघु निर्माण कार्य में चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में उपलब्ध प्रावधान से वहन होगा।

कृपया यह सुनिश्चित करावें कि संबंधित आवास में स्वीकृत कार्यों पर ही राशि का व्यय किया जावे तथा कार्य पूर्ण करवाकर कम्प्लीशन प्रमाण पत्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें। इस विभाग के पत्र क्रमांक 19(1)साप्र-4/2011 दिनांक 30.12.2011 के क्रम में लेख है कि समस्त संबंधित आवासियों से बजट उपयोगिता प्रमाण पत्र लिये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः कार्य पूर्ण होने पर संबंधित आवासी से बजट का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जावे।

वित्त (सा.वि.ले.नि.) विभाग के आदेश क्रमांक प.3(2)वित्त/साविलेनि/2020 दिनांक 29.03.2022 के अन्तर्गत दिनांक 1.04.2022 से दिनांक 15.04.2022 तक आफलाईन जारी एएफएस हेतु वित्त (बजट) विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार एएफएस मॉड्यूल में प्रपत्र 14 बी में इन्द्राज एवं पीडब्ल्यूएफ एण्ड एआर की एसओपी के अनुसार सक्षम स्तर से ऑनलाईन स्वीकृति प्राप्त की जाने एवं इस प्रकार प्राप्त प्रोजेक्ट अप्रूवल आईडी का वॉम मॉड्यूल पर बिलों के भुगतान हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रिया में fetch कर बिलों का भुगतान किया जाना है, जिनमें ऑनलाईन तकनीकी स्वीकृति, कार्यादेश जारी किया जाना तथा ऑनलाईन एमबी भरा जाना आवश्यक नहीं है। दिनांक 16.04.2022 से ऑनलाईन एएफएस ही मान्य है, इसलिए इस स्वीकृति के लिये ऑनलाईन एएफएस अलग से जारी की जा रही है।

Signature valid

Digitally signed by Har Sahay
Meena
Designation: Joint Secretary
Date: 2023.05.15 15:00:05 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3841512



आरटीपीपी अधिनियम 2012 एवं नियम 2013, समस्त वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा सुस्थापित सिद्धांतों की प्रत्येक स्तर पर पालना सुनिश्चित की जावे तथा आपके विभाग के परिपत्र क्रमांक (184) SE(B)/Circulars/C-144दिनांक 13.07.2009 (यथासंशोधित) के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करवाया जावे।

भवदीय

(डॉ. हर सहाय मीणा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है : -

1. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
2. निदेशक वित्त (बजट) विभाग।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग।
4. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग।
5. अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर वृत्त, जयपुर।
6. अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-III, जयपुर।
7. अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, विद्युत खण्ड-II, जयपुर।
8. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
9. संबंधित आवासी।
10. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref No. : 3841512

Signature valid

Digitally signed by Har Sahay
Meena
Designation: Joint Secretary
Date: 2023.05.15 15:00:05 IST
Reason: Approved



General Administrative Department

Room No 5028

Main Building, Secretariat Jaipur

Phone: 0141-25224 Fax: 0141-25224 e-mail: GAD4@RAJASTHAN.GOV.IN

A & F Sanction No. 2324-JS405-12 Dated : 15/05/2023

FD Project Approval ID (FDPAID) : 94081

Chief Engineer

Chief Engineer Public Works Department, Jaipur

Sub : Administrative & Financial sanction of proposal for Repair and maintenance work in Quarter No E-3 Gandhinagar, Jaipur (Allotted to Sh Harphool Singh Yadav) Amount 6.47 Lac Quarter No E-4 Gandhinagar, Jaipur (Allotted to Sh Abhimanyu Sharma) Amount 6.26 (E.C. Rs. 12.73 lac) , District : Jaipur.

Ref : CE PWD Letter

In Exercise of power delegated, Administrative and Financial sanction of Rs. 12.73 lac is hereby accorded for the proposal of Repair and maintenance work in Quarter No E-3 Gandhinagar, Jaipur (Allotted to Sh Harphool Singh Yadav) Amount 6.47 Lac Quarter No E-4 Gandhinagar, Jaipur (Allotted to Sh Abhimanyu Sharma) Amount 6.26 Lac (Total Amount 12.73 Lac) subject to the following conditions :

1. समस्त व्यय सुस्थापित अधिनियमों, विनियमों व राज्य सरकार के दिशानिर्देशों तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 की अनुपालना सुनिश्चित कराते हुए किया जाये।
2. कृपया यह सुनिश्चित करावे कि संबंधित आवास में स्वीकृत कार्यों पर ही राशि का व्यय किया जाये तथा कार्य पूर्ण करवाकर कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे तथा विभागीय स्वीकृति के विरुद्ध कार्य संतोषजनक होने का प्रमाण पत्र आवासी से प्राप्त किया जाये।
3. समस्त वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा सुस्थापित सिद्धांतों की प्रत्येक स्तर पर पालना सुनिश्चित की जाये तथा आपके विभाग के परिपत्र क्रमांक (184) SE(B)/Circulars/C-144 दिनांक 13.07.2009 के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करवाया जाये।
4. यह व्यय 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय 01-सरकारी रिहायशी भवन, 700-अन्य आवास (11) तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के बंगले- 90-निर्माण कार्य-स्कीम 16-लघु निर्माण कार्य में चालू वित्तीय वर्ष में उपलब्ध प्रावधान से वहन होगा। कृपया कार्य पूर्ण करवाकर कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।

Name of Scheme / Work : Repair and maintenance work in Quarter No E-3 Gandhinagar, Jaipur (Allotted to Sh Harphool Singh Yadav) Amount 6.47 Lac Quarter No E-4 Gandhinagar, Jaipur (Allotted to Sh Abhimanyu Sharma) Amount 6.26

Amount of A & F Sanction (Rs.) : 12.73 lac

Budget Head :-

4216-01-700-11-90-16 [P / V] - Amount (Rs.) : 12.73 lac

Technical Sanction (TS) Execution Office :- X.EN. P.W.D.,CITY DIV.III JAIPUR

Joint Secretary
General Administrative Department

Copy to following for information and necessary action :-

- 1) Accountant General,AG Office, Jaipur.
- 2) Personal Assistant,General Administrative Department.
- 3) Joint Secretary,Joint Secretary, Finance (Budget) Department, Rajasthan, Jaipur.
- 4) Executive Engineer,X.EN. P.W.D.,CITY DIV.III JAIPUR.
- 5) Executive Engineer,EXECUTIVE ENGINEER P.W.D.ELECT. DIV.-2 JAIPUR.

Joint Secretary
General Administrative Department